पत्र संख्या: 1/भ०नि०–1005/2023–सा०प्र०–14613/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवामें,

बिहार संवर्ग से बाहर सेवारत
अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक: 12.3.26

विषय:– **भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति एवं निकासी के संबंध में।**

प्रसंग:– **वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–GPF-02-43/2019-5780 दिनांक 01.10.2019.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र दिनांक 01.10.2019 की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना के अनुबद्ध पत्र द्वारा दिनांक 01.04.2019 से सीएफएमएस (CFMS) प्रणाली के लागू होने के उपरांत बिहार संवर्ग से बाहर सेवारत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों की भविष्य निधि से अग्रिम की निकासी के बाद आलोच्य राशि को संबंधित बैंक खाता में अंतरित करने में हो रही तकनीकी कठिनाई का उल्लेख करते हुए अग्रांकित निर्णय संसूचित है:–

"अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी जो बाह्य सेवा/राज्य के बाहर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से संबंधित संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी द्वारा ही भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत कर भुगतान किया जाएगा। "

2. प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कुछ ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं, जिनमें बिहार संवर्ग से बाहर सेवारत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को उनके पदस्थापन से सम्बद्ध विभाग/कार्यालय के लोक लेखा पदाधिकारी (PAO) द्वारा भविष्य निधि अग्रिम का भुगतान करने के पश्चात् उसकी प्रतिपूर्ति की अपेक्षा बिहार सरकार से की जाती है। ऐसे मामलों में संबंधित लोक लेखा पदाधिकारी (PAO) को उनके स्तर से भविष्य निधि के रूप में भुगतान किए गए अग्रिम की राशि की प्रतिपूर्ति अत्यंत दूभर होती है।

3. अतः विनम्र अनुरोध है कि भविष्य निधि से अग्रिम निकासी के निमित्त संवर्ग नियंत्री विभाग के समक्ष आवेदन समर्पित करने की कृपा की जाए ताकि तत्संबंधी स्वीकृति और तत्संबंधी भुगतान की कार्रवाई सुगमता से सुनिश्चित हो सके।

विश्वासभाजन,

12/3/2026

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

680 |Pinky| D:\ Letter

ज्ञापांक: 1/भ०नि०–1005/2023–सा०प्र०–14619**/पटना–15, दिनांक:** 12.8.26

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना, गृह विभाग, बिहार, पटना और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1/भ०नि०–1005/2023–सा०प्र०–14619**/पटना–15, दिनांक:** 12.8.26

प्रतिलिपि:– स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि बिहार संवर्ग से बाहर सेवारत अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के बीच इस पत्र को परिचालित कराने की कृपा की जाय।

12/8/2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक: 1/भ०नि०–1005/2023–सा०प्र०–14619**/पटना–15, दिनांक:** 12.8.26

प्रतिलिपि:– सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/8/2026

सरकार के अवर सचिव।

333

पत्र संख्या GPF 02 43/2019
बिहार सरकार
भविष्य निधि निदेशालय
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह, भा.प्र.से.
सचिव (व्यय)
वित्त विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव /
प्रधान सचिव / सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक – 1.10.19

विषय – **बिहार सम्वर्ग के अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को भविष्य निधि से अप्रत्यर्पणीय अग्रिम की स्वीकृति एवं निकासी के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी जो बाह्य सेवा / राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गए हैं, वर्तमान में जिस कार्यालय में पदस्थापित होते हैं, उस विभाग के PAO के माध्यम से भविष्य निधि से अग्रिम की राशि प्राप्त कर लेते हैं एवं संबंधित PAO के माध्यम से सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम की राशि भविष्य निधि निदेशालय द्वारा संबंधित अंशदाता के भविष्य निधि खाते से प्राधिकार पत्र निर्गत कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित PAO को प्रतिपूर्ति की जाती है।

CFMS प्रणाली जो राज्य में 01.04.2019 से लागू है, में संबंधित पदाधिकारी के भविष्य निधि अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु भविष्य निधि खाते से राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाने में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में प्रतिपूर्ति की राशि सीधे संबंधित पदाधिकारी के निजी खाता में स्थानांतरित करने से यह सुनिश्चित नहीं हो पाता है कि वास्तविक रूप से PAO को राशि की प्रतिपूर्ति हुई या नहीं। एक ही राशि संबंधित पदाधिकारी के खाता में दो बार जाने से आयकर संबंधी कठिनाई भी हो सकती है।

इस हेतु निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी जो बाह्य सेवा / राज्य के बाहर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें दिनांक 01.01.2020 के प्रभाव से संबंधित सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा ही भविष्य निधि से अग्रिम स्वीकृत कर भुगतान किया जाएगा। कृपया इस आशय की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा के वैसे पदाधिकारी जो बाह्य सेवा / राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गए हैं उन्हें एवं उनके प्रतिनियुक्त विभाग को देने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)